

Government of Bihar
Department of Energy

Notification

सं०:-प्र०/ऊर्जा कोर्ट केस-71/2026- 21

/पटना, दिनांक:- 24.09.2016

Notification pursuant to section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016

S.O. ____ (E).—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the Energy Department (hereinafter referred to as the said Department) in the Government of Bihar (hereinafter referred to as the said Government) is administering Under section 65 of Electricity Act 2003 the State Government provides subsidy to all eligible consumers (hereinafter referred to as the said scheme):

And whereas Energy Department, Bihar Government provides subsidy to all eligible consumers on “SCHEDULE OF TARIFF RATES” as decided by BERC (Bihar Electricity Regulatory Commission) (hereinafter referred to as the said benefit) is given to the all eligible electricity consumer in the State (hereinafter referred to as the beneficiaries) under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof:

And whereas expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of Bihar:

And whereas the said Energy Department is desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Bihar hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.
- (2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:
- (3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said Energy Department shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said Energy Department for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

For beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:

(a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the EID; and

(b) Any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely:—

- (i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;
- (ii) Ration card;
- (iii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
- (iv) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
- (v) Indian passport;
- (vi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
- (vii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;
- (viii) Disability certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*), Government of India;
- (ix) Driving licence issued in India;
- (x) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
- (xi) Any other document as the said Energy Department may specify:

(4) An officer designated by the said Energy Department in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3),—

- (a) the status of the enrolment request by submitting the EID on myAadhaar portal (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) to confirm that the EID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and
- (b) The other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.
2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Energy Department shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.
3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan-based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—
- (a) In case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;
- (b) In cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:
- (i) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (*i.e.*, the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (*i.e.*, the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.
- (ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.
4. In order to ensure that *bonafide* beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the Energy Department shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on <https://dbtbharat.gov.in>).
5. This notification shall be effective from the date of its publication in the official Gazette.

Sd/-
(Sudha Gupta)
Joint Secretary

Memo No.-प्र० / ऊर्जा कोर्ट केस-71 / 2026- 4898 / पटना, दिनांक:- 24.09.2026

Copy forwarded to:-Deputy Secretary, Press (e-Gazette Cell), Finance Department, Bihar, Patna for publication in the forthcoming issue of the Bihar Gazette (along with CD and hard copy).

2. He is requested to kindly make available 100 (one hundred) copies of the published Gazette to the Energy Department.

Lu
23.09.26
Joint Secretary
✕

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

सं०:—प्र० / ऊर्जा कोर्ट केस—71 / 2026— 21

/ पटना, दिनांक:— 24.09.2026

आधार (लक्षित वितरण वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाएँ) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अनुसार।

जबकि सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा लाभार्थी को अपनी पहचान की पुष्टि करने हेतु कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर सुविधाजनक और निर्वाध तरीके से सीधे अपने अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है;

और चूंकि बिहार सरकार (जिसे आगे उक्त सरकार कहा जाएगा) का ऊर्जा विभाग (जिसे आगे उक्त विभाग कहा जाएगा) बिजली अधिनियम 2003 की धारा 65 के तहत सभी पात्र उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने की योजना (जिसे आगे उक्त योजना कहा जाएगा) का संचालन कर रहा है :

और जबकि ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार एवं BERC (बिहार विधुत विनियामक आयोग) द्वारा तय की गई "टैरिफ दरों की अनुसूची" के आधार पर सभी पात्र उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करती है (जिसे आगे उक्त लाभ कहा जाएगा); यह लाभ राज्य में सभी पात्र बिजली उपभोक्ताओं (जिन्हें आगे 'लाभार्थी' कहा जाएगा) को उक्त योजना और उससे संबंधित जारी निर्देशों और दिशा-निर्देशों के तहत दिया जाता है।

और चूंकि उक्त योजना का खर्च बिहार के संचित कोष से किया जाता है:

और ऊर्जा विभाग इच्छुक है कि उक्त लाभ की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार यह अपेक्षा करे कि ऐसा लाभार्थी प्रमाणीकरण से गुजरे या आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करे या किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे कोई आधार संख्या नहीं दी गई है, नामांकन के लिए आवेदन करे।

अतः आधार (लक्षित वितरण वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाएँ) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुपालन में, बिहार सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्

1. (1) उक्त योजना के तहत उक्त लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रमाणीकरण से गुजरना होगा, या आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(2) यदि ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा।

(3) आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के प्रावधानों के अनुसार, उक्त ऊर्जा विभाग ऐसे लाभार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेगा, जिनका अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, अथवा रजिस्ट्रार के साथ समन्वय और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केन्द्रों की स्थापना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करने सहित उचित उपायों के माध्यम से उनके आधार विवरण को अद्यतन करेगा:

बशर्ते कि जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या आवंटित नहीं की जाती है, तब तक वह उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके अपनी पहचान स्थापित कर सकता है, जिसका वह हकदार है और जो प्रस्तुत करने के समय वैध हैं, अथवा यदि ऊर्जा विभाग द्वारा ऐसी पहचान के लिए प्रदान किया गया या अधिकृत सॉफ्टवेयर ऐसे दस्तावेजों की विषय-वस्तु को प्रमाणित करने वाली सूचना को उनकी तैयारी या रखरखाव से संबंधित प्राधिकारियों के डाटाबेस से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने का समर्थन करता है, तो ऐसा प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देकर, अर्थात्:—

18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए, जिन्हें आधार संख्या नहीं दी गई है:

(क) नामांकन केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई लाभार्थी द्वारा नामांकन की प्रक्रिया से गुजरने की पावत, जिसमें ईआईडी शामिल है; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जिसमें लाभार्थी की तस्वीर हो, अर्थात:-

- (i) भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र;
- (ii) राशन कार्ड;
- (iii) राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो, जो एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो;
- (iv) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;
- (v) भारतीय पासपोर्ट;
- (vi) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंकों का विवरण;
- (vii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;
- (viii) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र, या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड;
- (ix) भारत में जारी ड्राइविंग लाइसेंस;
- (x) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे या कानून के साथ संघर्षरत बच्चे के संबंध में, जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत इसके द्वारा बनाए गए नियमों के तहत संबंधित राज्य सरकार के साथ पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान द्वारा रखा जाता है, ऐसे संस्थान के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्मतिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या
- (xi) कोई अन्य दस्तावेज जैसा कि **ऊर्जा विभाग** निर्दिष्ट कर सकता है।

(4) इस संबंध में **ऊर्जा विभाग** द्वारा नामित एक अधिकारी प्रस्तुत दस्तावेजों या खंड (3) के तहत उनकी सामग्री को प्रमाणित करने वाली जानकारी के संबंध में जाँच करेगा :-

(क) मेरे आधार पोर्टल (<https://myaadhaar-uidai-gov-in/portal>) पर ईआईडी जमा करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की पुष्टि करने के लिए कि ईआईडी वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकार नहीं किया गया है; और

(ख) अन्य दस्तावेज, और इस प्रयोजन के लिए, किसी भी सरकारी इकाई या ऐसे प्राधिकरण की सहायता ले सकते हैं और प्रस्तुत जानकारी को उनके साथ साझा कर सकते हैं जो ऐसे दस्तावेजों में निहित जानकारी की तैयारी या रखरखाव से संबंधित हैं।

2. लाभार्थियों को उक्त लाभों का आसानी से लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, विभाग उक्त योजना के तहत आधार संख्या की आवश्यकता के बारे में लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

3. जहां लाभार्थी के आधार नंबर का प्रमाणीकरण किसी भी बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण विधि (अर्थात् चेहरे की छवि, उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) के माध्यम से किया जाता है, किसी भी कारण से विफल हो जाता है, जैसे कि बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता, तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात:-

(a) यदि प्रमाणीकरण की कोई विशेष बायोमेट्रिक आधारित विधि सफल नहीं होती है, तो बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण की कोई अन्य विधि, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, पेश की जाएगी;

(b) ऐसे मामलों में जहां प्रमाणीकरण के बायोमेट्रिक आधारित या ओटीपी-आधारित तरीके संभव नहीं हैं, उक्त योजना के तहत लाभ, आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के द्वारा आधार संख्या की वास्तविकता स्थापित करने के बाद, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित में से किसी के आधार पर दिया जा सकता है;

(i) आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (यानी आधार संख्या धारक को उसके आधार नंबर के सृजन पर जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (यानी यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य आधार पत्र की पासवर्ड-संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके सुलभ) शामिल है, आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के बाद।

(ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज (यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके सुलभ है). इसकी वास्तविकता यूआईडीएआई की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या योजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकसित आवेदन के माध्यम से दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से स्थापित होने के बाद।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थी उक्त योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित न रहें. **ऊर्जा विभाग** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी, दिनांक 19 दिसंबर, 2017 (जो <https://dbtbharat.gov.in> पर उपलब्ध है) में निर्दिष्ट अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन करेंगे।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

ह0/-

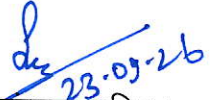
(सुधा गुप्ता),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र01/ऊर्जा कोर्ट केस-71/2026- 4898 /पटना, दिनांक:- 24.09.2026

प्रतिलिपि:-उप सचिव, प्रेस (ई-गजट कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रण हेतु (सी०डी० एवं हार्ड प्रति के साथ) प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


सरकार के संयुक्त सचिव।



2-10-1960

3080